

254
15-5-14

67

29/2

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्टरीवा

म० प्र०
निरानी प्रकरण क्रमांक /2014



Rs. 20/-

R-2106-II/14

अविनाश मूर्ति तनय राममूर्ती गौतम निवासी डेहला: सेमरी कलां द्वारा
शारदापुरी, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म० प्र० --- आवेदक/निराकार
बनाम

नाम देण

27-14

- 1- कैलाश सोनी तनय रामावतार सोनी निवासी कोठी बाई नं० 8
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म० प्र०
- 2- नरेंद्र पाण्डेय उर्फ रज्जू पाण्डेय तनय शंकरदीन पाण्डेय निवासी शारदापुरी
दुधेटोला कोठी, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म० प्र०
- 3- बीरेंद्र पाण्डेय तनय शंकरदीन पाण्डेय निवासी शारदापुरी दुधे
टोला कोठी, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म० प्र०

म० प्र० व्यासन

--- आवेदक का पत्र/गैर निरानी क्व गिण
निरानी विलंब राजस्व निरीक्षाक
महोदय मण्डल कोठी, तहसील रघुराजनगर
जिला सतना प्रकरण क्र० 168/12/13-14
आदेश दिनांक 2-1-14

निरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र०
मू-राजस्व संविधान 1959 ध०

मान्यवर, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

ग्राम शारदापुरी की भूमि जा० नं० 87/1 कतब 11-1990
अविनाश मूर्ति

Handwritten signature

Handwritten mark

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

67

क्रमांक R2106-IV/14

जिला-सतना

अविनाश मूर्ति/ कैलाश सोनी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त कोठी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 16/ए-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	